>

Title: Need to ensure reservation of jobs for Scheduled Castes in Supreme Court and High Courts in the country.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का मौका दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में वहां के 16 जिला न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी गयी है। जो सभी के सभी अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित हैं। उच्च न्यायालय ने इन जजों को सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा, जिसे राज्य सरकार ने बिना जांचे-परखे आंख बंद कर अपनी मुहर लगाकर स्वीकृति प्रदान कर दी। मैं यह बताना चाहूंगा कि उच्च न्यायालय ने इन जजों को हटाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजा था, जिसमें न तो सेवानिवृत्ति का कारण भेजा गया और न ही इन सभी जजों का सर्विस रिकॉर्ड भेजा गया।

मैं सदन का ध्यान कुछ तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि देश के सभी उच्च न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारी ग्रुप ए, बी, सी और डी में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व काफी कम है। इसका प्रमुख कारण उच्च न्यायालयों में आरक्षण व्यवस्था का न होना है। देश के कुल 18 उच्च न्यायालयों में से 16 उच्च न्यायालय अलग-अलग तरीके से स्वयं के बनाए आरक्षण नियम का पालन करते हैं, बाकी बचे दो उच्च न्यायालय दिल्ली व मुंबई उच्च न्यायालय, जो देश के सर्व-प्रमुख हैं, ने पिछले 61 वर्षों से आरक्षण व्यवस्था का पालन नहीं किया है। आरक्षण को लेकर सभी उच्च न्यायालयों में असमानता व्याप्त है, लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक इस विषय को मुख्य न्यायाधीशों की कांफ्रेंस में नहीं उठाया गया और न ही विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। इन सभी से हटकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी उच्च न्यायालय के कर्मियों एवं जजों को दिए जाने वाले मानदेय का भुगतान भारत के कंसोलिडेटेड फंड से किया जाता है।

अतः सभी उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जाना चाहिए। मैं माननीय न्याय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से कार्यवाही करें और न्यायिक व्यवस्था में आरक्षण दिलवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।